प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 08.01.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश :–

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 08.01.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये :–

1. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पटना मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के संबंधित कार्यालयों से समन्वय करें।
   (अनुपालन :– श्री संजय दयाल, वि०स०/श्री मनोज कुमार, का०अभि०)

2. पटना मेट्रो रेल निगम के बोर्ड की प्रथम बैठक में किन–किन प्रस्तावों की स्वीकृति प्राप्त की जानी है, इस हेतु एजेंडा अभी से तैयार कर लिया जाय। **(अनुपालन :– श्री मनोज कुमार, का०अभि०)**

3. नगर निकायों में समूह 'ग' कर्मियों के लिए सेवा नियमावली का गठन संबंधी प्रारूप में समूह 'ग' के कर्मियों की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से किये जाने की कार्रवाई की जाय।
   (अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)

4. नगर निकायों का निर्वाचन पार्टी आधारित करने एवं महापौर/अध्यक्ष का प्रत्यक्ष रूप से सीधे निर्वाचन से संबंधित Study Report आदि उपलब्ध कराने के लिए DMI को पत्र भेजा जाय।
   (अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)

5. TCPO के पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए निदेशक, नगरपालिका प्रशासन एवं श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव का दल गठित करने और इस दल को 15 दिनों के अंदर प्रस्ताव अनिवार्य रूप से उपलब्ध का निर्देश दिया गया था, लेकिन बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है। पुनः निर्देश दिया गया कि अगले 15 दिनों के अंदर इस संबंध में प्रस्ताव अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।
   (अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०/श्री जय प्रकाश मंडल, वि०स०)

6. आरा, कटिहार, मधेपुरा एवं पूर्णिया के स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना के डी०पी०आर० के संबंध में अधीक्षण अभियंता श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि इस संबंध में डी०पी०आर० में संशोधन हेतु मंतव्य बुडको को भेजा गया है, लेकिन बुडको द्वारा तदनुसार डी०पी०आर० में संशोधन कर विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन्हें निर्देश दिया गया कि इन योजनाओं के डी०पी०आर० में आवश्यक संशोधन हेतु बुडको के स्तर पर वे स्वयं समन्वय करें। **(अनुपालन :– श्री ओम प्रकाश सिंह, अधी०अभि०)**

7. बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि बोधगया स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना (अम्बा नाला) के डी०पी०आर० पर मंतव्य उपलब्ध कराने के लिए जिला पदाधिकारी, गया को पत्र भेजा गया है, लेकिन अभी तक मंतव्य प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। निर्देश दिया गया कि इस संबंध में जिला पदाधिकारी, गया को पुनः स्मार पत्र भेजा जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–2)**

8. AMRUT योजना के कंसल्टेंट को निर्देश दिया गया कि उनके द्वारा किन–किन नगर निकायों में क्या कार्य किये जा रहे हैं, इसका प्रतिवेदन साप्ताहिक रूप से अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जाय। यह भी निर्देश दिया गया कि जलापूर्ति योजना के लिए जिन नगर निकायों में अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया है, उसकी सूची संचिका में उपस्थापित करें और जमीन की उपलब्धता हेतु संबंधित निकायों के जिला पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों के साथ समन्वय करें। इस संबंध में यदि

आवश्यकता हो तो जिला पदाधिकारियों से वार्ता करने हेतु संबंधित विभागीय वरीय पदाधिकारी अथवा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय।

(अनुपालन :– श्री अनिल कुमार मिश्रा, का०अभि० / Team Leader, AMRUT)

9. संबंधित योजनाओं में कार्यरत कंसल्टेंट / एजेंसी के भुगतान हेतु संबंधित प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा इनके द्वारा संपादित कार्यों के evaluation एवं deliverable के लिए Evaluation Committee बनाया जाय। इस कमिटी द्वारा कंसल्टेंट / एजेंसी के भुगतान के परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा संपादित कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। **(अनुपालन :– संबंधित योजनाओं के प्रभारी पदा०)**

10. विधानमंडलीय मामलों यथा प्राक्कलन समिति, ध्यानाकर्षण समिति, आश्वासन समिति, निवेदन समिति, याचिका समिति आदि से संबंधित प्रश्नों की निदेशक, नगरपालका प्रशासन के स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जाय एवं लंबित मामले का शीघ्र निष्पादन कराया जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन अवलोकन हेतु नियमित रूप से संचिका में उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)

11. विभागीय पदाधिकारियों के कार्य आवंटन संबंधी संचिका उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदा०–1)

12. बिहार राज्य आवास बोर्ड से संबंधित कई मामलों में माननीय न्यायालय में वाद दायर है, जिससे संबंधित कई मामले विभाग स्तर पर अथवा बिहार राज्य आवास बोर्ड के स्तर पर लंबित हैं। निर्देश दिया गया कि इन मामलों की साप्ताहिक रूप से समीक्षा एवं अनुश्रवण कर निष्पादन कराने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)

13. सभी नगर निगम शहरों में Stack Parking के निर्माण हेतु प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदा०–2)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

9/1/2019

(चैतन्य प्रसाद),

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 73 न०वि० एवं आ०वि० / पटना, दिनांक 10/01/19

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सभी विभागीय पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, बुडको / Team Leader, PMC (NULM)/Team Leader, SPMG / Team Leader, AMRUT/Team Leader, MIS/अभियंत्रण कोषांग / TCPO/सभी प्रशाखा पदाधिकारी / आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/2019

प्रधान सचिव